

**न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा**

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)  
प्रकरण संख्या: 64/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी कोर्ट कैंप  
दायरा दिनांक 19.04.2022  
अन्तर्गत धारा: अन्तर्गत धारा 76 एलआरएक्ट 1956

उनवान

शंकर लाल आत्मज श्री कजोड़मल जैन जाति महाजन निवासी इन्द्रगढ़, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
2. अध्यक्ष, नगर पालिका इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. तहसीलदार, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
4. रामदास आत्मज मोतीशंकर जाति बैरागी निवासी चेतन दास की बगीची, इन्द्रगढ़, वार्ड नं० 3 जिला बून्दी
5. श्यामदास आत्मज परमानन्द जाति बैरागी निवासी चेतन दास की बगीची, इन्द्रगढ़, वार्ड नं० 3 जिला बून्दी

...रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित : श्री विनय कुमार सकसैना अभिभाषक -अपीलार्थी  
श्री कैलाश गुप्ता अभिभाषक - रेस्पों क्र. 1, 2, 4 एवं 5  
रेस्पों पेरोकार सरकार - रेस्पों क्र. 3

::निर्णयः

दिनांक 30.04.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के प्रकरण संख्या 342/अपील/2018 बउनवान शंकरलाल बनाम प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2022 के विरुद्ध अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।


1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई कि भूमि खसरा सं० 174 एवं 178 विस्थित ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के बावत् अधिशाषी अधिकारी द्वारा 90वीं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने के आदेश अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 07.01.

संभागीय आयुक्त  
कोटा संभाग, कोटा

2013 को पारित किये गये थे। उक्त आदेश के विरुद्ध रैस्पो0 क्र. 4 एवं 5 ने जिला कलक्टर, बून्दी के यहां अपील पेश किये जाने पर जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा दिनांक 31.01.2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ को रिमाण्ड किया गया। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 21.05.2018 से अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र 90वीं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवासीय प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित किये जाने एवं पट्टा जारी करने के प्रार्थना-पत्र को निरस्त किया गया।

2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपना स्वामित्व प्रकट करने में तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 को विधिविरुद्ध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहना वर्णित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 10.01.2022 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई।


3. अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों से व्यथित होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की जाकर कथन किया गया है कि अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.05.2018 में यह निष्कर्ष दिया कि सभी पक्षकारों द्वारा कोई स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज या कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा भूमि के स्वामी श्री कृष्णदास चेला रामलखनदास साधू एवं रैस्पो0 4 एवं 5 द्वारा उक्त भूमि में काटे गये विभिन्न भू-खण्डों को अपीलार्थी द्वारा खरीद कर मकान निर्माण किया है। धारा 90 वीं भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भूमि के स्वामी द्वारा भूमि को अकृषि कार्य के लिये विक्रय-पत्र अथवा विक्रय के करार द्वारा अथवा पॉवर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार द्वारा भूमि के उपयोग की एवं कब्जे में रहने की अनुमति दे रखी है तो ऐसे व्यक्ति का जो भूमि में अधिकार एवं हित निहित था और वह भूमि अन्य व्यक्तियों को पुनः आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगी, इस कानूनी बिन्दु पर बिना कोई मत प्रकट किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इकरारनामे के आधार पर किसी अन्य खातेदार की कृषि भूमि पर अपने नाम पट्टा करने बाबत नगर पालिका में कार्यवाही पेश किये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है एवं

  
सम्पत्तीय आयुक्त  
कोटा संमान, कोटा

अनरजिस्टर्ड इकरारनामा किसी भी प्रयोजन हेतु ग्राह्य नहीं है, का जो निष्कर्ष दिया है वह विधि के और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विपरित दिया गया है, इस कारण निर्णय निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में पट्टा जारी करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने का रेषपो क्र. 4 एवं 5 को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भूमि का बेचान उसके स्वामी कृष्णदास जी चेला रामलखनदास द्वारा ही बेचान किया जा चुका है और रेषपो क्र. 4 एवं 5 के नाम जो नामांतरण तरदीक किया गया है, वह विवादित है, जिसकी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर में विचारधीन है। अपीलार्थी के पक्ष में पूर्व में दिनांक 07.01.2013 को पट्टा जारी करने के आदेश अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ द्वारा जारी किये गये थे, उसमें संपरिवर्तन राशि भी जमा करायी हुई है। इस तथ्य को अनदेखा कर कोई राशि के संबंध में निर्णय नहीं किया गया। अपीलार्थी अपने खरीदशुदा भू-खण्ड पर निर्माण कर उस पर काविज है तथा आवासीय प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन कराकर पट्टा जारी कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़ के समक्ष एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा प्र० सं 33/2015 बाबत् रेषपो क्र. 4 एवं 5 के विरुद्ध पेश किया गया था।, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आशय का वादपत्र स्वीकार करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 14.08.2024 जारी की गई है कि वादी/अपीलार्थी के भू-खण्ड 50 गुणा 20 फीट योग 1000 वर्गफिट जिसका वर्णन वाद-पत्र की चरण सं० 3 में किया गया है, पर से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे, उस पर कब्जा नहीं करे, उस पर निर्माण नहीं करे एवं उक्त भूखण्ड अन्य व्यक्तियों को बेचान नहीं करे। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2022 निरस्त किया जावे तथा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।


4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेषपो को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेषपो अभिभाषक सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा भूमि के स्वामी श्री कृष्णदास चेला रामलखनदास साधू एवं रेषपो 4 एवं 5 द्वारा उक्त भूमि में काटे गये विभिन्न भू-खण्डों को अपीलार्थी द्वारा खरीद कर मकान निर्माण

  
संभाषक आदुक्ता  
बेटा संभाष. कोटा

किया है। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में पट्टा जारी करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने का रेस्पों क्र. 4 एवं 5 को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भूमि का बेचान उसके स्वामी कृष्णदास जी चेला रामलखनदास द्वारा ही बेचान किया जा चुका है और रेस्पों क्र 4 एवं 5 के नाम जो नामांतरण तस्दीक किया गया है, वह विवादित है, जिसकी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर में विचाराधीन है। धारा 90 बी भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भूमि के स्वामी द्वारा भूमि को अकृषि कार्य के लिये विक्रय-पत्र अथवा विक्रय के करार द्वारा अथवा पॉवर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार द्वारा भूमि के उपयोग की एवं कब्जे में रहने की अनुमति दे रखी है तो ऐसे व्यक्ति का जो भूमि में अधिकार एवं हित निहित था और वह भूमि अन्य व्यक्तियों को पुनः आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगी, इस कानूनी बिन्दु पर बिना कोई मत प्रकट किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी के पक्ष में पूर्व में दिनांक 07.01.2013 को पट्टा जारी किया गया था, जिसकी संपरिवर्तन राशि भी जमा करायी जा चुकी है तथा आवासीय प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन कराकर पट्टा जारी कराने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2022 निरस्त किया जावे तथा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RLT 29.06.2012 Sec 90(A) L.R. Act Sub Sec (8), & Sec. 13, AIR 2003 SC Page No. 1905 पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पों द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया गया कि अपीलार्थी को इकरारनामे के आधार पर कार्यवाही पेश किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि इकरारनामे बेचान से स्वत्व हस्तांतरित नहीं होता। इकरारनामे की सत्यता का निर्णय करने का अधिकार नगर पालिका को नहीं है तथा अनरजिस्टर्ड इकरारनामा किसी प्रकार के प्रयोजन के लिये ग्राह्य नहीं है। नगर पालिका एक्ट के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इकरारनामों के आधार पर पट्टा बना दे। उक्त वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार रेस्पों.सं. 4 व 5 है जिनके द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण करवाने के लिये नगर पालिका इन्द्रगढ़ के समक्ष कभी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। रेस्पों.सं. 4 व 5 तथा उनके पूर्वजों ने उक्त कृषि भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति व संस्था को हस्तान्तरित नहीं किया है। नगर पालिका इन्द्रगढ़ द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या 174 एवं 178

  
संभागीय आयुक्त  
शेरा संमत, कोटा

पर धारा 90-ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने के लिये एक लोक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवायी गयी, जिसके संबंध में रेस्पो.सं.4 व 5 ने अपना आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2012 को यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी के संबंध में न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) बून्दी में प्रकरण सं. 85/2011 वउनवान मुकदमा रामदास वगै.बनाम बृजगोपाल वगै.नाम से एक सिविल वाद प्रस्तुत कर रखा है। परन्तु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ के द्वारा उक्त आराजी पर धारा 90-ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही जारी रखते हुये उक्त आपत्ति पर ध्यान दिये बिना आदेश दिनांक 07.01.2013 को सरसरी तौर पर पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 ने जिला कलक्टर बून्दी के यहां अपील प्रस्तुत किये जाने पर ही निर्णय दिनांक 31.01.2017 से पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ को रिमाण्ड किया गया तथा इसके उपरांत ही निर्णय दिनांक 21.05.2018 से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित किये जाने एवं पट्टा जारी करने के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.01.2022 में स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को विक्रय इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय में स्पेसिफिक परफोर्मेंस का वाद प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करने पर ही वादग्रस्त आराजी पर हक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016(4) DNJ [Raj.] Page No. 1515 पेश किये।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि भूमि खसरा सं0 174 एवं 178 विस्थित ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के बाबत् अधिशाषी अधिकारी द्वारा 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने के आदेश अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 07.01.2013 को पारित किये गये थे, जिसके विरुद्ध रेस्पो0 क्र. 4 एवं 5 ने जिला कलक्टर, बून्दी के यहां अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 31.01.2017 से प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ को रिमाण्ड किया गया। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 21.05.2018 से अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवासीय प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित किये जाने एवं पट्टा जारी करने के

समाप्ति आदेश  
कोटा संयोजक


परिष्कार-पत्र को निरस्त किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलवाली का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलवाली द्वारा अपने पक्ष में प्रदत्त जारी करने के लिए प्रस्तुत परिष्कार-पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने का ऐक्टों क. 4 एवं 8 को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भूमि का बंधान उसके स्वामी द्वारा ही तथा समतलत्ववाचक द्वारा ही बंधान किया जा चुका है। धारा 60 बी यू-राजस्व अधिनियम, 1922 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भूमि के स्वामी द्वारा भूमि को अकृषि कार्य के लिये विकस्य-पत्र अथवा विकस्य के कर्षण द्वारा अथवा पीनर ऑफ अर्लीर्ची द्वारा अथवा नगरीयता द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार द्वारा भूमि को उपयोग की एवं कब्जे में रहने की अनुमति दे रखी है तो ऐसे व्यक्ति को जो भूमि में अधिकार एवं हित विहित था और वह भूमि अन्य व्यक्ति को पुनः आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगी, इस कानूनी बिन्दु पर बिना कोई मत प्रकट किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। इसके विपरित ऐक्टों 4 एवं 8 का तर्क रहा है कि अपीलवाली को हुकरारनामा के आधार पर कार्यवाही पेश किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि हुकरारनामा बंधान से स्वत्व संरक्षित नहीं होता। हुकरारनामा की सत्यता का निर्णय करने का अधिकार नगर पालिका को नहीं है तथा अनरजिस्टर्ड हुकरारनामा किसी प्रकार के प्रयोजन के लिये माह्य नहीं है। नगर पालिका एक्ट के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हुकरारनामा के आधार पर प्रदत्त बना दे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलवाली को विकस्य हुकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय में स्टैटिस्टिक प्रक्रीमेंस का वाद प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विकस्य-पत्र निष्पादित करने पर ही वादचरत आराजी पर हक प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए स्वामित्व प्रकट नहीं होने पर निर्णय दिनांक 10.01.2022 से अपील खारिज की गई है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्राधिकृत अधिकारी राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन दिनांक 31.05.2012 की अधिसूचना अनुसार कृषि भूमि पर संबंधित व्यक्ति को अधिकार और हित समाप्त किये जाने के आदेश जारी करने हेतु सहाय अधिकारी है। इस संबंध में प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलवाली को हुकरारनामा के आधार पर किसी अन्य खातेदार की कृषि भूमि पर अपने नाम प्रदत्त प्राप्त करने बावजूद नगरपालिका में कार्यवाही पेश किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अनरजिस्टर्ड एवं अनरटाइपड हुकरारनामा किसी भी प्रयोजन हेतु माह्य नहीं है। विकस्य रजिस्टर्ड नहीं होने से इसे विधिमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अचल संपत्ति का

रंगमागीय आदुकर  
कोटा संभाग, कोटा

हस्तान्तरण अन-रजिस्टर्ड विक्रय से नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को विक्रय इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वाद प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करने पर ही वादग्रस्त आराजी पर हक प्राप्त हो सकते हैं। इस संबंध में संपत्ति-अंतरण अधिनियम 1882 के "अध्याय 3 'स्थावर संपत्ति के विक्रयों के विषय में' विक्रय कैसे किया जाता है :- ऐसा अन्तरण एक सौ रुपए और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर सम्पत्ति की दशा में, या किसी उत्तर-भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के वादग्रस्त आराजी पर स्वामित्व को साबित नहीं किये जाने से तथा अपीलार्थी के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका इन्द्रगढ़ के पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 को विधिविरुद्ध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2022 विधिसम्मत प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
संभागीय आयुक्त  
संभागीय क्षेत्र पुस्त  
बनेटा संभाग, कोटा